

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
शुद्धि-पत्र

संख्या-03/स्था0 रा0 से0 (स्था0/पद0)-13/2026- 943 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 30-06-2026

बिहार राजस्व सेवा के अधीन अनुमण्डल राजस्व पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद के पदाधिकारियों का विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 द्वारा किये गये स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

1. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-190 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, नवादा सदर, नवादा" पढ़ा जाए।
2. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-130 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, नवगछिया, भागलपुर" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल" पढ़ा जाए।
3. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-140 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, घाटकुसुम्बा, शेखपुरा" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, बाढ़, पटना" पढ़ा जाए।
4. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-254 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर (सदर)" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, अमरपुर, बांका" पढ़ा जाए।
5. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-146 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, फुल्लीडुमर, बांका" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, पंडारक, पटना" पढ़ा जाए।
6. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-172 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, पंडारक, पटना" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, फुल्लीडुमर, बांका" पढ़ा जाए।
7. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-158 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, अघौरा, कैमूर" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, जोकिहाट, अररिया" पढ़ा जाए।
8. विभागीय अधिसूचना सं0-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-241 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, जिला-भूर्जन कार्यालय, वैशाली" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, मसौढ़ी, पटना" पढ़ा जाए।



9. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-141 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, शेखोपुरसराय, शेखपुरा" के स्थान पर "सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, पटना" पढ़ा जाए।

10. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-195 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, किरतपुर, दरभंगा" के स्थान पर "सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, पटना" पढ़ा जाए।

11. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-176 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, कोचस, रोहतास" के स्थान पर "सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली" पढ़ा जाए।

12. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-47 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर, पटना" के स्थान पर "सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण" पढ़ा जाए।

13. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-237 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, कोचस, रोहतास" पढ़ा जाए।

14. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 के क्रमांक-97 में अंकित पूर्व पदस्थापन स्थान को "अंचल अधिकारी, सबौर, भागलपुर" पढ़ा जाए।

15. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-264 में अंकित नव पदस्थापन स्थल "अंचल अधिकारी, बिहटा, पटना" के स्थान पर "अंचल अधिकारी, लहलादपुर, सारण" पढ़ा जाए।

16. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 का क्रमांक-121, 171, 185, 191 एवं 263 को विलोपित किया जाता है।

17. विभागीय अधिसूचना सं०-942(3), दिनांक-30.06.2026 के क्रमांक-219 में अंकित नव पदस्थापन स्थान अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद एवं क्रमांक-210 में अंकित नव पदस्थापन स्थान अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को क्रमशः अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद पढ़ा जाए।

18. उक्त अधिसूचना को इस हद तक यथा-संशोधित समझा जाए।

19. सभी जिला समाहर्ता/सभी समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशक, चकबंदी निदेशालय/निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित स्थानांतरित पदाधिकारियों को उनके पद एवं स्थान/कार्यालय में योगदान करने हेतु अविलम्ब विरमित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

20. संबंधित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने नव पदस्थापन स्थान पर बिना पारगमन अवधि का उपभोग किये अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

21. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

22. यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा।


(आजीव वत्सराज)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 03/स्था0 रा0 से0 (स्था0/पद0)-13/2026- 943 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 30-06-2026
प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता/समाहर्ता -सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बिहार/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सभी संबंधित स्थानांतरित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई-मेल
/
फैक्स/
विशेषदूत


(आजीव वत्सराज)
सरकार के अपर सचिव।

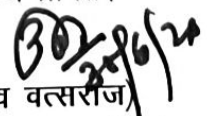
ज्ञापांक- 03/स्था0 रा0 से0 (स्था0/पद0)-13/2026- 943 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 30-06-2026
प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(आजीव वत्सराज)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 03/स्था0 रा0 से0 (स्था0/पद0)-13/2026- 943 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 30-06-2026
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(आजीव वत्सराज)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 03/स्था0 रा0 से0 (स्था0/पद0)-13/2026- 943 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 30-06-2026
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधित को अधिसूचना की प्रति ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब-साइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(आजीव वत्सराज)
सरकार के अपर सचिव।